

राजस्थान सरकार
राजस्व (ग्रुप-6) विभाग

क्रमांक पा० 6(1)राज-6 / 2014 / पार्ट-1 / ।।

जयपुर, दिनांक ०६/०५/२०१५

अधिसूचना

राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 (अधिनियम संख्या 15 वर्ष 1956) की धारा 26 की उप-धारा (1) सपष्टित धारा 260 उप-धारा (1) खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार उक्त अधिनियम की धारा 135 की उप-धारा (1) एवं अधिसूचना क्रमांक प. 5 (21) राज-4/80/35 दिनांक 04.09.1982 यथा संशोधित अधिसूचनां क्रमांक प. 5 (21) राज-4/80/18 दिनांक 25.07.2003 के तहत नामान्तकरण के मामलों को निर्णित करने की ग्राम पंचायत की शक्तियां ग्राम पंचायतों के स्थान पर राजस्थान तहसीलदार सेवा के अधिकारी को राजस्व लोक अदालत अभियान-2015 के दौरान उनके क्षेत्राधिकार में प्रयोग करने हेतु एतद्वारा प्रदान की जाती है।

यह अधिसूचनां दिनांक 11.05.2015 से 15.07.2015 तक प्रभावशील रहेगी।

राज्यपाल के आदेश से,

(अनिल कुमार अग्रवाल)
संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निजी सचिव, माननीय मुख्यमंत्री जी।
2. निजी सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान जयपुर।
3. निजी सचिव, शासन सचिव, राजस्व।
4. निबन्धक राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर।
5. समस्त सम्भागीय आयुक्त राजस्थान।
6. समस्त ज़िला कलक्टर, राजस्थान।
7. निदेशक, राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय जयपुर को अधिसूचना का राजपत्र विशेषांक दिनांक ०६/०५/१५ में प्रकाशत हेतु।
8. राविरा, राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर।
9. रक्षित पत्रावली।
10. निदेशक, जनपदक राजावार को ऐसे रैली पर हेतु
संयुक्त शासन सचिव